न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 79–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–12–2015 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला हरदा प्रकरण क्रमांक 3/अ–13/2014–15.

1–बालकृष्ण पिता रामचन्द्र सराफ

निवासी नरसिंग वार्ड हरदा जिला हरदा

2–श्रीमति संध्या पत्नि गोविंद तिवारी

निवासी रामचंद्र सराफ की बाड़ी

हरदा जिला हरदा म0प्र0 .....आवेदकगण

विरूद्ध

महेश आ0 खजानचंद धमनानी

निवासी सिंधी कॉलोनी बड़ी सिंधी कॉलोनी हरदा

जिला हरदा .....अनावेदक

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री नितिन स्थापक, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/11/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा कलेक्टर हरदा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि विगत 40–50 वर्षो से प्रचलित मार्ग को आवेदक द्वारा पक्की बाउण्ड्रीवाल बनाकर बन्द कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये। तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 3/अ–13/2014–15 दर्ज कर दिनांक 8–12–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खोले जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 27–9–16 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि उभयपक्ष के अभिभाषक 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः प्रकरण के निराकरण में निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को के आधार पर विचार किया जा रहा है ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण को दिये गये सूचना पत्र में अनावेदक द्वारा सुखाचार के के रास्ते के संबंध में मॉग की है, सुखाचार कब प्रारंभ हुआ और कब सुखाचार संबंधित अधिकार परिपक्व हो गये, इस संबंध में बिना जॉच किये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) सुखाचार के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार व्यवहार न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नहीं ।

(3) विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अंतरिम रास्ता तभी खुलवाया जा सकता है जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो, जबकि अनावेदक के लिये सर्वे कमांक 10(108) से

पूर्णरूपेण मौके पर रास्ता खुला हुआ है, जिसका उपयोग आवागमन में आसपास के निवासी कर रहे हैं, उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन रास्ते के संबंध में व्यवहार वाद प्रस्तुत कर व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के अन्तर्गत प्रश्नाधीन रास्ते का उपभोग अनावेदक नहीं करें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई थी । उक्त प्रकरण में व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 15–7–2016 को गुणदोष पर आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, अतः व्यवहार न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिये जाने के पश्चात आवेदकगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं रह गया है ।

(2) प्रश्नाधीन प्रचलित मार्ग 40–50 वर्ष पुराना होकर निरन्तर चला आ रहा है और आवेदकगण द्वारा वर्षो से प्रचलित रास्ते से अवरूद्ध किया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है ।

(3) तहसीलदार द्वारा सम्पूर्ण जॉच करने के उपरांत मौके पर स्थल निरीक्षण किया जाकर प्रश्नाधीन रास्ता वर्षो पुराना होना तथा उसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध किया जाना पाते हुये खुलवाये जाने के आदेश दिये हैं जो कि विधिसंगत कार्यवाही है ।

(4) आवेदकगण द्वारा अवैध कालोनी का निर्माण किया जाकर प्रश्नाधीन रास्ता अवरूद्ध किया गया है जिससे कि आम नागरिकों को असुविधा हो रही है इस कारण तहसीलदार द्वारा रास्ता खुलवाये जाने के आदेश देने में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अभी अंतरिम आदेश पारित कर शासकीय रास्ता खुलवाये जाने के आदेश दिये गये हैं और तहसीलदार द्वारा प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण किया जाना है, जहॉ आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार पारित अंतरिम आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील व जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–12–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर